छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
षास्त्री चौक, रायपुर (छ०ग०) – 492001
दूरभाष नंबर :– 0771–4918927
Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक / 71 / पंजी / रेरा / 2022 / 781 रायपुर, दिनाँक 08 / 06 / 2022

/ / परिपत्र / /

विषयः– प्राधिकरण द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक–69 / रेरा / 2022 / 548, दिनाँक 13.04.2022 से संबंधित स्पष्टीकरण व संशोधन के संबंध में।

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा पूर्व में प्रोजेक्ट्स पंजीयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करने के संबंध में दिनाँक 28.03.2018 को परिपत्र क्रमांक–3 जारी किया गया था। प्राधिकरण द्वारा संदर्भित परिपत्र के माध्यम से उक्त परिपत्र के संबंध में यह स्पष्टीकरण जारी किया गया था कि "इस परिपत्र के लागू दिनाँक से प्रमोटर्स को एनेक्सर–1 के साथ Unsold Inventory Details संलग्न प्रपत्र एनेक्सर–A के अनुसार विवरण रेरा वेबपोर्टल में अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा इसी प्रकार प्रोजेक्ट्स पंजीयन के पश्चात् प्रमोटर्स को एनेक्सर–2 में संलग्न प्रपत्र एनेक्सर–A के अनुसार Sold/Unsold के विवरण के डाटा को प्रत्येक त्रैमासिक प्रतिवेदन में रेरा वेबपोर्टल में अपडेट करना अनिवार्य होगा।" क्रेडाई छ.ग. द्वारा Annexure-A में Inventory Details के प्रदान करने हेतु प्राप्त की जाने वाली जानकारी में से मूल्य व प्राप्त राशि को विलोपित करने की मांग पत्र के माध्यम से की गई है। चूँकि प्राधिकरण को त्रैमासिक अपडेशन के समय विक्रय की गई इकाईयों से प्राप्त राशि की जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराने हेतु प्रमोटर्स उत्तरदायी है और प्रमोटर्स द्वारा उक्त जानकारी त्रैमासिक अपडेशन के समय प्रदान की जाती है। इसलिये पुनः राशि की जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होने के कारण उक्त Annexure-A में संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्राधिकरण द्वारा भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिपत्र क्रमांक–69 के संबंध में यह स्पष्टीकरण जारी किया जाता है कि उक्त परिपत्र में उल्लेखित Annexure-A के स्थान पर इस परिपत्र के साथ संलग्न संशोधित प्रपत्र Annexure-A लागू होगा और परिपत्र क्रमांक–69 में उल्लेखित शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

(डॉ. अनुप्रिया मिश्रा)
8/6/2022
रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर.

ANNEXURE-A (Amended)

Sold Inventory Details:-

Sr. No.	Apartment/Plot/Building No.	Carpet Area (in sq.mtr.)
	Total	

(Unsold Inventory Details)

Sr. No.	Apartment/Plot/Building No.	Carpet Area (in sq. mtr.)
	Total	